[illegible] 3/4 अधिनियम 9, 10, 11 की तामील हेतु [illegible] पत्रावली दिनांक 6/5/2022 को पेश है

[illegible] 3/4 अधिनियम 9, 10, 11 की तामील हेतु [illegible] पत्रावली दिनांक 18/5/2022 को पेश है

18/5/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 10/6/2022 को पेश हो।

10/6/22 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 26/8/2022 को पेश हो।

26/8/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 29/9/2022 को पेश हो।

29/9/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 12/12/22 को पेश हो।

T.I. द्वारा 5/1/9 पत्रावली अग्रेषित

12/1/2023 पत्रावली जारी किए उप अधिनियम 9, 10, 11 के तामील नहीं होने पर आदेश लगाई गई अनुपस्थित अधिनियम 9, 10, 11 के तहत पत्रावली जारी किए आदेश के लगाई गई [illegible] की अपील पर अन्तर्गत [illegible] RTA Act

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण इच्छा मामला सुनिश्चित करने एवं अग्रिम आदेश के लिए पर नियत किया गया। प्रकरण दिनांक 28.2.2022 को अंतिम बहस Rule 10 CPC का प्रस्तुत होकर आदेशिका उपलब्ध की गिरफ पर पक्षकारान को सुना गया। वादी अन्तिम सहीत बेनामी महेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंहराजपूत कौमजिया, कालोनी गुलाबपुरा, तेजसिंह पुत्र रामसिंहराजपूत कौमजिया कालोनी गुलाबपुरा द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम अवगुप्त के खा. 325, 326 में भूमि परिवर्तन/जिसे बेनामी दस्तावेज दिनांक 03.1.2020 द्वारा क्रय की गई है। मामले पर स्वीकार किया जाता है। महेन्द्रसिंह एवं तेजसिंह को अन्तर्गत 12 एवं 13 बेनामी किया जाता है। वादग्रस्त भूमि को लेकर मौके पर किसी प्रकार की अशान्ति नहीं है। मामले में ग्राम पंचायत को न्यायहित में पार्टी बनाकर निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण 51/19 गजानन्द बनाम गोपीराम एवं अन्य व 401/19 हीरादेवी v/s गोपीराम वगैरह में पक्षकारान प्रार्थियान/अप्रार्थियान को वादग्रस्त भूमि ग्राम अवगुप्त के खा. 325 एवं 326 में किसी प्रकार का बैनामा, हस्तान्तरण, बन्धक, रहन, हक त्याग, इकरारनामा नहीं करें तथा यथास्थिति बनाये रखें। इस बेनामी कार्यवाही किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन स्वीकार नहीं करें। ए.टी. आदेश का पालन कर पुष्टता किया जावे। आदेश सहित प्रकरण आज दिनांक 12.12.2022 को सुनाया जावे।

पत्रावली केवल प्रकार होकर मूल कार्य के लिए रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested